ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 26, अंक 246 अप्रैल 2024

मैं ऐसे धर्म को मानता हूं

जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 26 अंक 246
अप्रैल 2024

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/9510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रहिम श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	**अपनी बात**	डॉ. तारा परमार	3
2	दलित नारी सिलिया	डॉ. माजिदा एम	4
3	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	**Shahida** Prof. Dr. Manish Kant Jain Supervisor	6
4	लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं जागरूक मतदाता : मध्यप्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ म एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	9
5	भारत में महिला सशक्तिकरण : एक व्यापक समीक्षा	दीपक	11
6	दलित विमर्श : सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का प्रश्न	अर्चना द्विवेदी	14
7	समकालीन दलित राजनीति में पूना समझौता का प्रभाव	प्रवीण चौधरी शोधार्थी	16
8	Changes of Scheduled Castes Population Literacy Rate in Himachal Pradesh 2001-2011	- Gurmel Singh - Dr. MohanLal	18
9	''फ़िराक गोरखपुरी ज़ात और सिकात''	डॉ. मोहम्मद अज़हर ढेरीवाला	22
10	बुद्ध की प्रथम और अंतिम वाणी : वैश्विक समुदाय के लिए विरासत	प्रीति गहलोत शोधार्थी	24
11	अम्बेडकर महान (कविता)	डॉ. दयानंद बटोही	26

UGC Care Listed Journal
खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

बोधिसत्व, संविधान शिल्पी, भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का आक्रोश भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त धार्मिक पाखण्ड, कर्मकाण्ड, घटाटोप सामाजिक व आर्थिक असमानता एवं जाति–पांति की जटिलताओं में बंटे हुए समाज के प्रति था। उन्होंने जाति–पांति तोडक मण्डल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अपने भाषण में कहा था कि जो सामाजिक सुधार नहीं कर सकते वे राजनीतिक सत्ता के योग्य कैसे हो सकते है? हर एक जो दार्शनिक मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि–''एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है। उसको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है।''

सामाजिक सुधार के दो अर्थ हैं–एक तो हिन्दू परिवार का सुधार और दूसरा हिन्दू समाज के ढ़ांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुर्ननिर्माण करना। पहले का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के विनाश से है। राजनीतिक सुधार चाहे किसी भी दशा में जाए वे पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहाँ की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियाँ हुई है। मार्टिन लूथर किंग द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आजादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिये सुधार राजनीतिक आजादी का कारण बना। उनके कारण अमेरिका आजादी का युद्ध जीत गया। प्यूरिटेनिज्म ने नये संसार की नींव रखी। प्यूरिटेनिज्म ने ही अमेरिका की आजादी का युद्ध जीतां यह एक धार्मिक आन्दोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चन्द्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु–महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके थे। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरुनानक सामाजिक और धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। यह प्रमाणित करने के लिये इतने ही उदाहरण काफी है कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों, मन व बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आजादी बहुत जरूरी है।

समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय पर अपने विचार रखते हुए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि–मैं नहीं समझता कि भारत में एक समाजवादी सरकार जात–पांत, ऊँच–नीच व अन्य रूढ़ियों व संकीर्णताओं से पैदा हुई समस्याओं पर काबू पाए बिना एक पल भी चल सकती है। यदि समाजवादी कुछ आकर्षक नारे लगाकर या कार्यक्रम बताकर संतुष्ट नहीं होना चाहते और यदि वे समाजवाद को एक ठोस व वास्तविक बनाना चाहते है तो उनको यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार ही असली सुधार है और यही समाज की बुनियादी जरूरत है। और यह भी कि उनके लिए इन समस्याओं से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भारत में पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था के कारण पैदा हुई विकृतियों से समाजवादियों को निपटना ही पड़ेगा और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि किस्मत से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लेते हैं तो उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं से छुटकारा पाना ही पड़ेगा।

मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि क्रांति से पहले वे ध्यान नहीं देते तो क्रांति के बाद जाति पर ध्यान देने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। दूसरे हम यू कह सकते है आप जिस तरफ भी चाहे घूमकर देखो, जिस दिशा में भी जाओ, जाति एक ऐसा राक्षस है जो अपने मार्ग में हमेशा खड़ा नजर आएगा। जब तक आप इस राक्षस को मौत के घाट नहीं उतार देते तब तक आप कोई राजनीतिक या आर्थिक सुधार नहीं कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज होगा जिसकी नींव आजादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो। इससे अलग मैं किसी अन्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। यह भाईचारा है जो लोकतंत्र का एकमात्र दूसरा नाम हो सकता है। लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप मात्र नहीं है। यह बुनियादी रूप से संगठित व सामूहिक जीवन जीने तथा संयुक्त रूप से बातचीत के अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका भी है। लोकतंत्र का निचोड़ है अपने लोगों के लिए आदर और इज्जत का ढंग।

– डॉ. तारा परमार

दलित नारी सिलिया

– डॉ. माजिदा एम

भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। एक ओर उच्च वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है तो दूसरी ओर निम्न वर्ग के लोग पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। इस प्रकार उच्च एवं निम्न जाति के लोगों के सामाजिक जीवन में स्पष्ट असमानता दिखाई देती है। दलित साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाया। उनका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाकर शोषणमुक्त समाज की स्थापना करना है। डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी ने कहा है कि "दलित साहित्य उन मूल्यों पर चोट करता है जो व्यक्ति एवं समुदाय के संघर्ष की राह में बाधा उपस्थित करते हैं।"[1] प्रेमचंद का 'गोदान' उपन्यास इस प्रकार के अनेक संघर्षरत पात्रों से भरपूर है।

गोदान उपन्यास का एक प्रमुख स्त्री पात्र है 'सिलिया' जो अपने अस्तित्व के लिए सतत् संघर्षरत है। जीवन में उसे दोहरे उत्पीडन और शोषण झेलना पड़ता है। स्त्री होने के नाते वह पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा दी गई यंत्रणाओं को भोगती है तो दलित होने के नाते उसे सवर्ण समाज द्वारा दी गई यंत्रणाओं को भोगना पड़ता है। 'गोदान' उपन्यास में सिलिया का चित्रण दलित नारी के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक सिलिया के माध्यम से अछूत कन्या की विवशता, उसके उत्पीड़न व अपमान का सही चित्र प्रस्तुत किया है। समाज में व्याप्त जाति भेद, सामाजिक असमानता, छुआछूत की भावना, दलितों द्वारा भोगा गया कटु अनुभव आदि का सफल अंकन इस उपन्यास में हुआ है। दलित जाति के लोगों के जीवन को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करके उनकी संवेदना को जागृत्त करने में लेखक सफल हुआ है।

यौन शोषण

प्रेमचंद ने सिलिया के माध्यम से उच्च वर्ग के लोगों द्वारा दलित स्त्रियों के यौन– शोषण का मुद्दा उठाया है। पंडित दातादीन के पुत्र मातादीन एवं सिलिया चमारिन के बीच चल रहे प्रेम संबंध के प्रकरण में सिलिया की एकाग्र प्रेम–भावना एवं मातादीन की चरित्र हीनता का वर्णन किया गया है। सिलिया–मातादीन के झूठे प्रेमजाल में फंस जाती है। वह समझती है कि मातादीन ब्राह्मण होकर भी चमारिन सिलिया को पत्नी के रूप में घर में रखा है तो जरूर उसके मन में सिलिया के प्रति अटूट प्रेम है। अपनी बिरादरी का विरोध सहकर भी मातादीन सिलिया को अपनी पत्नी के रूप में घर में रखता है। लेकिन उसका प्रेम केवल शारीरिक है। सिलिया के यौवन भरे शरीर के प्रति वह आकर्षित है। निम्न जाति की सिलिया को वह मन बहलाने वाले खिलौने की तरह समझता है।

कठिन मेहनत

मातादीन सिलिया को बहला–फुसलाकर अपने घर में रख लेता है और उससे अपने खेत खलिहानों में मेहनत करवाता है। मातादीन समझता है कि एक मुफ्त की मजदूर मिल गई। मातादीन के खेत में रात दिन काम करने पर भी एक सेर अनाज उठाने का उसे हक नहीं था। केवल दो वक्त की रोटी और साल भर में एक कपडा देता है। सिलिया यही सोचकर कठिन परिश्रम करती है कि मातादीन जैसे ब्राह्मण ने अपने जनेऊ को हाथ में लेकर उसके साथ ब्याह करने की कसम खाई है। मातादीन जैसे चालाकी को वह जान नहीं पाती।

छुआछूत

चमारिन जाति में जन्मी सिलिया अछूत होने का अभिशाप झेलती है। मातादीन को सिलिया के साथ शारीरिक संबंध रखने पर कोई छुआछूत या ब्राह्मण होने का अहसास नहीं होता। लेकिन सिलिया द्वारा पकाया खाना वह नहीं खाता। अपनी रसोई वह खुद पकाकर खाता है। धर्म की रक्षा मातादीन के लिए सिलिया द्वारा

पकाया खाना न खाने तक सीमित है। हमारी धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियाँ ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं।''[2]

मातादीन सिलिया को अपनी संपत्ति या खेत के अनाज का हिस्सेदार नहीं मानता था। वह अधिकार उसे कभी भी नहीं दिया गया था। जब उसने मातादीन से पूछे बिना दो मुट्ठी अनाज उठाया तो मातादीन का असली रूप बाहर आ जाता है। उस समय सिलिया मातादीन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस बात का भी विचार किये बिना उसने सिलिया को अपमानित करके घर से निकाल दिया। इससे उसको बड़ा धक्का लगा और वह सोचती है" वह प्रेमातुर होकर घर में और बाग में और नदी तट पर उसके पीछे–पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका यही निष्ठुर व्यवहार । मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया।[3]

सिलिया के पिता हरखू के कहने पर उसके साथी मातादीन के मुँह में हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। मातादीन अपने ही घर में बहिष्कृत हो जाता है। उनके पिता उन्हें ब्राह्मणवाद की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान करते हैं। वह अनुष्ठानों पर बहुत पैसा खर्च करता है और काशी से पंडितों को बुलाया जाता है। इस घटना के द्वारा तत्कालीन समाज में प्रचलित छुआछूत की प्रथा की पराकाष्ठा को दिखाया गया है।

मातादीन प्रायश्चित करके अपनी जाति में पुनः मिल जाता है। पर उसे अपने पुत्र के प्रति मोह सिलिया के साथ रहने को विवश कर देता है। मातादीन और सिलिया का पुनर्मिलन होता है। गाँव में मातादीन को मलेरिया हो जाता है तो उसे लगता है कि गर्भवती सिलिया से दुर्व्यवहार करने के कारण ईश्वर ने उसे दंड दिया है। इससे मातादीन का हृदय परिवर्तन होता है और वह सिलिया के लिए होरी के हाथ में दो रुपये भेजता है। सिलिया यह जानकर खूब प्रसन्न होती है। मातादीन सिलिया और बच्चे को देखने के लिए होरी के घर के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। निमोनिया से सिलिया के बच्चे की मौत हो जाती है। मातादीन स्वयं बच्चे की लाश नदी में बहा आता है और सिलिया को पूरी तरह से अपनाकर उसके साथ रहने लगता है।

अशिक्षा

सामाजिक प्रगति में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शताब्दियों से दलितों के पिछड़ेपन का कारण उनकी अशिक्षा ही है। शिक्षा के अभाव में वे अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पायेंगे। सिलिया अशिक्षित होने के कारण अपने अस्तित्व और अस्मिता के प्रति सचेत नहीं है। इसलिए वह अवहेलना, अपमान और उत्पीड़न को चुपचाप सहती है। घोर अपमान एवं तिरस्कार का सामना करने पर भी वह मातादीन का साथ नहीं छोड़ती। "ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब मातादीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं, दूसरा अवलम्ब नहीं है।''[4] इससे स्पष्ट है कि सिलिया में आत्मसम्मान की कमी है। उसकी मानसिकता में परिवर्तन लाना और उसमें आत्मविश्वास जगाना आवश्यक है। आत्म–सम्मान जगाने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा।

सिलिया परंपरागत मानसिकता रखनेवाली स्त्री है। दर्द, अवहेलना, अपमान और अत्याचार को वह अपने भाग्य का हिस्सा मानती है। वह शोषण का विरोध नहीं करती, बल्कि उसके आगे सिर झुकाकर समर्पण करती है। होरी की तरह सिलिया भी जातिगत शोषण का विरोध करने के स्थान पर स्थितियों से समझौता करती है। वह भाग्यवाद और कर्मवाद पर विश्वास करती है। इसलिए अनब्याही पत्नी के रूप में मातादीन के साथ रहने से उसके मन में किसी प्रकार का अपमानबोध नहीं जागता। सिलिया अनपढ़ एवं अंधविश्वासी है। कर्मफल व जन्म सिद्धांत को मानती है। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण हो रहे यौन

शोषण, आर्थिक शोषण व मानवाधिकारों के हनन को वह समझ नहीं पाती। संघर्ष या विरोध का कोई स्वर नहीं उठता। सिलिया उसी दलित समुदाय का हिस्सा है जिनमें अभी अस्तित्वबोध जागा नहीं है।

– डॉ. माजिदा एम
सह आचार्या, हिंदी विभाग
सरकारी महिला महाविद्यालय,
तिरुवनंतपुरम–695013 (केरला)
मोबा. 9745524215

संदर्भ :
1. डॉ.पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी – दलित साहित्य एवं सामाजिक न्याय, पृ. सं. 9
2. प्रेमचंद– गोदान, पृ. 208
3. वही पृ. सं. 209
4. वही पृ. सं. 208

SOCIAL MEDIA LINGUISTIC

Prof. Dr. Manish Kant Jain
Supervisor
School of Journalism & Mass Comm.
LNCT University, Bhopal

- Shahida
(Research Scholar)

ABSTRACT

Communication has existed in one form or another for as long as mankind has existed on this planet. Of course, it has become more cultured over the years but it has always been around us. Since then, our progress has further accelerated along with the development of mutual relations. It is sad to say that a language which we took to the heights is now dragging it down Language is the mother of literature. The change of language with the changing times makes the language unique. For example, the English spoken in the 19th century is miles away from the English spoken in our everyday lives today. What hasn't changed is the interlinking and linkage provided by the language. With the rise of social media, this interlinking has become even faster and easier. Facebook, Instagram, Snapchat etc have paved the way for communication like never before. No place is far away and it seems that our life has become very easy with its arrival.

KEY WORDS - Communication, Language, Interlinking, Accelerated, Social Media.

INTRODUCTION

Nowadays when almost, everything is being measured by its presence in social media. Every organization, individual, government, company, from litterateur to social worker and from leader to actor is being trendy in social media on the basis of its influence and popularity. When the print came, the ubiquity of oral dialogue decreased. When radio came, it replaced the written and printed media a bit. The other mediums were unidirectional. This new medium is interactive, making interaction possible. It has changed the way companies and their products and services are promoted, consumed, marketed and the way they reach and

SOCIAL MEDIA LINGUISTIC

Today, the dominance of social media is being felt in almost every language of the world, efforts are being made to understand it and discussions are taking place. This new medium, like every new medium, has influenced the manner of use, dictionary, style, correctness, grammar, and syntax of every language. This effect is visible not only in written but also on spoken language. Now SMS, Twitter, Facebook, and WhatsApp have also made email unnecessary and irrelevant for many people. This new medium, like every new medium, has influenced the manner of use, dictionary, style, correctness, grammar, and syntax of every language. This effect is visible not only in written but also on spoken language.

RESEARCH OBJECTIVE

The purpose of this research is to tell the youth that the language which has increased in trend on social platforms is actually becoming a threat to the existence of the native language. This danger is also becoming more serious because new generations are constantly moving away from anything serious, healthy, thoughtful writing, literature, conceptual reading other than textbooks. The purpose of research is to show that good, effective language comes only from good reading. Hence through this research, attention has to be drawn towards all these things.

METHODOLOGY, RESULT & ANALYSIS

We have asked 10 questions from 100 people here, who were related to social media linguistics and as a result the data has been obtained in the following way :-

Q.1 - Does social media affect linguistics?

	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	Number of Respondents	Percentage
1	YES	54	54%
2	NO	11	11%
3	A LITTLE BIT	22	22%
4	DON'T KNOW	13	13%
	TOTAL	**100**	**100%**

Q.2 - Has social media influenced culture?

	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	Number of Respondents	Percentage
1	YES	52	52%
2	NO	16	16%
3	A LITTLE BIT	22	22%
4	DON'T KNOW	10	10%
	TOTAL	**100**	**100%**

Q.3 - Do you use the language of social media also known as slang?

	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	Number of Respondents	Percentage
1	YES	37	37%
2	NO	19	19%
3	SOMETIME	31	31%
4	HAVE TO GO WITH TREND	13	13%
	TOTAL	**100**	**100%**

to social media linguistics?

	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	Number of Respondents	Percentage
1	YES	39	39%
2	NO	17	17%
3	DON'T KNOW	18	18%
4	LITTLE BIT	26	26%
	TOTAL	**100**	**100%**

Q.4 - How is this today's social media language for the new generation?

	SOCIAL MEDIA LINGUISTIC	Number of Respondents	Percentage
1	GOOD	20	20%
2	BAD	35	35%
3	LEARNING SOMETHING NEW	26	26%
4	DOESN'T MATTER	19	19%
	TOTAL	**100**	**100%**

CONCLUSION

It would not be fair to blame social media solely for the "collapse" of the language. After all, it's us who direct the web, not anyone else. The level of language, be it Hindi or English, is also falling in newspapers, books, and abbreviations etc. Different languages are used together in any subject to make it easier to read. The emergence of Hinglish is also an example of this and the material we read is a mixture of the same mixed languages which is published in a mainstream. After all, who we are, where we are and the things, we are surrounded by is largely determined by us

(Research Scholar)
Journalism & Mass Communication
LNCT University, Bhopal
H-48, near Aam wali Masjid
Jahangirabaad, Bhopal- 462008
Mob. : 8588880595, 9171169919

References :

1. Page Ruth, Barton David, Lee Carmen, Unger Wolfgang Johann, Zappavigna Michele, February 28, 2022, Researching Language, and social media, ISBN 9780367640088

2. Seargeant Philip, Tagg Caroline, 2014, The Language of social media: Identity and Community on the Internet, Palgrave Macmillan, ISBN- 978-1-137-02930-0

3. Farzindar Atefeh, Inkpen Diana, December 2017, Natural Language Processing for social media, Second Edition, Synthesis Lectures on Human Language Technologies,

ISBN-9781627053884

4. Taiwo Rotimi, Odebunmi Akinola, Adetunji Akin, JUNE 2016, Analysing Language and Humour in Online Communication, ISBN: 9781522503385|

5. OLOJEDE, Adejoke Maria, EBIM, Matthew Abua, ABIOYE, Adebola Tawa, 2018, LANGUAGE USE ON SOCIAL MEDIA: A STUDY OF FACEBOOK

INTERACTIONS BY YABA COLLEGE OF TECHNOLOGY

UNDERGRADUATES,

लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है जागरूक मतदाता : मध्यप्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

– डॉ. अनिल कुमार गुप्ता

शोध सारांश : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका समाज में एक निश्चित स्थान है, वह समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, फिर चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रक्रिया हो। नागरिकों को उनके अधिकारों के दृष्टिगत आधुनिक युग में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कायम की गयी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन करने वाले लोग आमजन द्वारा निर्वाचित होते है। आमजन एक मतदाता की भूमिका में होते हैं, जो मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को चुनते है। यही चुने हुए जनप्रतिनिधि ही शासन करते हैं। कमोबेश यह व्यवस्थां विश्व के सभी देशों में अपनायी जा रही है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के केन्द्र में जनता ही रहती है क्योंकि जनता ही शासन करने वालों को चुनती है, इसलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि मतदान की प्रक्रिया तथा शासन को चुनने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। इस प्रकार शासन को चुनने के लिए उसमें भाग लेने वालों का जागरूक होना भी आवश्यक है। इस आलेख में मध्यप्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन में मतदाताओं की भागीदारी तथा मजबूत लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश गठन से लेकर वर्ष 2019 में हुए आम निर्वाचन तक मतदाताओं की निर्वाचन में भागीदारी तथा मतदान का प्रतिशत, मतदाता जागरूकता अभियान के कारण मतदान के प्रतिशत में आये परिवर्तन आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है।

बीज शब्द : लोकतंत्र, लोकसभा निर्वाचन, मतदाता, जागरूकता, स्वीप कार्यक्रम, मतदान आदि।

प्रस्तादवना :

अब्राहम लिंकन के अनुसार ''लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है।''इस प्रकार लोकतंत्र के केंद्र में जनता ही है। लोकतन्त्र, एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें जनता मतदान के माध्यम से शासन करने वाले प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ''लोक तथा तन्त्र''जहां लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त्र का अर्थ है शासन करने वालों से है। लोकतन्त्र में ऐसी व्यवस्था रहती है जहां जनता अपनी इच्छा से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता विधायिका के प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। फिर ये चुने हुए प्रतिनिधि अनायास प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो सरकार का संचालन करते हैं, कुछ देशों में शासन करने वालों को जनता सीधे चुन लेती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है जैसे–स्विट्जरलैंड। भारत में जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनमें से किसी एक को शासन का प्रधान चुना जाता है तथा वह कार्यपालिका को चुनता है।

2011 की जनगणना अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है जिसमें से 3,76,11,370 पुरूष तथा 3,49,84,645 महिलायें हैं। प्रदेश में 5,25,57,404 ग्रामीण तथा 2,00,69405 शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 5, 64,15,130 मतदाता हैं जिनमें से 2,89,51,705 पुरूष मतदाता तथा 2,73,87,122 महिला मतदाता एवं 1237 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। प्रदेश में 10 संभाग, 55 जिले, 367 तहसीलें व 313 विकासखंड हैं। प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

मध्यप्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं–बालाघाट, बैतूल (अनुसूचित जनजाति), भिण्ड (अनुसूचित जाति), भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास

जबलपुर, धार (अनुसूचित जनजाति), रीवा, खजुराहो, खंडवा, खरगोन (अनुसूचित जनजाति), मण्डला (अनुसूचित जनजाति), मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम (अनुसूचित जनजाति), सागर, सतना, शहडोल (अनुसूचित जनजाति), सीधी, टीकमगढ (अनुसूचित जाति), उज्जैन (अनुसूचित जाति), तथा विदिशा।

मध्यप्रदेश में 1957 से 2019 तक लोकसभा निर्वाचन

वर्ष	मतदाता	डाले गए मत	मतदान%
1957	14010137	7614222	54.35
1962	15874238	7108885	44.78
1967	18393340	9833743	53.46
1971	19,578,837	9397900	48.00
1977	22782932	12512691	54.92
1980	25186438	13058719	51.85
1984	28143638	16190117	57.53
1989	36890694	20368256	55.21
1991	37708721	16726540	44.36
1996	43927252	23748322	54.06
1998	44607368	27541607	61.74
1999	46915473	25746824	54.88
2004	38390101	18446671	48.05
2009	38085179	19495931	51.19
2014	48118040	29639796	61.60
2019	50573531	36910610	72.98

मतदाता जागरूकता अभियान : मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप (SVEEP & Systematic Voter's Education and Electoral Participation) का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2009 से भारत के संबंधित बुनियादी जानकारी से अवगत कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

मध्यप्रदेश में भी वर्ष 2009 के लोकसभा आम निर्वाचन में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने, नाम में संशोधन कराने तथा मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस अभियान में शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, समाज के प्रबुद्धजनों, नवयुवकों द्वारा आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से अपील की गयी। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अलावा दीवार लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, वाद–विवाद प्रतियोगिता, मतदान करने के लिए शपथ आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी का परिणाम रहा कि जहां वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश में मतदान का प्रतिशत 48 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2009 में 51 प्रतिशत, 2014 में 61.6 प्रतिशत तथा 2019 में 72.98 प्रतिशत रहा। इस प्रकार मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यमम से निरंतर मतदान के प्रतिशत अर्थात लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है।

निष्कर्ष : लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी की आवश्यतकता होती है। एक स्वस्थ एवं मजबूत

अधिक मतदाता मतदान में भाग लेकर जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इस प्रकार मजबूत लोकतंत्र के केन्द्र में मतदाता तथा मतदान में उनकी भागीदारी है और यह भागीदारी मतदाताओं को जागरूक करके ही बढ़ायी जा सकती है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर कम है, तथा महिलाओं की साक्षरता दर और भी कम है। मध्यप्रदेश की लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है व साक्षरता दर भी कम है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों की अस्थायी बस्तियों में इसके अलावा युवाओं, दलित–वंचित–समूह, वर्ग को, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है तथा उन्हें लोकतंत्र के महत्व तथा मतदान से मजबूत लोकतंत्र निर्माण के विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है। आज का वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है, संचार के विभिन्न माध्यम से संदेशों का आदान–प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि मतदाताओं का श्रेणीकरण किया जाये, जिसका आधार मतदाताओं का शैक्षणिक स्तर, उनका परिवेश, उनके पास मौजूद संचार माध्यम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसी आधार पर स्वीप कार्यक्रम व प्रचार–प्रसार की गतिविधियां आयोजित की जाये ताकि मतदाता लोकतंत्र के महत्व को समझ सके तथा अधिक से अधिक मतदान कर एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित कर सकें।

– डॉ. अनिल कुमार गुप्ता
ए–117, सागर प्रीमियम टॉवर्स, फेज–2,
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.), पिन– 462042
मोबाइल– 9425003646,

सदर्भ :

- भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट SVEEP- www-eci-gov-in
- जनसंपर्क विभाग, म.प्र. शासनकी वेबसाइटwww-mpinfo-org
- CBSE Class 11 Hindi जनसंचार माध्यम – Learn CBSE
- लक्ष्मीकांत एम, 2010 लोक प्रशासन मेकग्रा पब्लिकेशन नोइडा (उ.प्र.)
- कुमार अनिल, 2011 ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र हिन्दी बुक सेन्ट.र नई दिल्ली।
- फडिया बी. एल., 2017, भारत में लोक प्रशासन साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा (उ.प्र.)
- पटेरिया शिव अनुराग मध्यप्रदेश–1998. एक संपूर्ण अध्ययन मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, भोपाल मध्य प्रदेश

भारत में महिला सशक्तिकरण : एक व्यापक समीक्षा

– दीपक

सारांश

महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। इसमें महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाना शामिल है, विशेषकर उनकी जो समाज में पारंपरिक रूप से वंचित रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है। यह साहित्य समीक्षा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, इसके आयामों, मुद्दों, चुनौतियों और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक कानूनों का अवलोकन प्रदान करती है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि शिक्षा तक पहुंच, रोजगार और सामाजिक संरचना में बदलाव महिला सशक्तीकरण के लिए सक्षम कारक हैं।

बीज शब्द : महिला सशक्तिकरण, आयाम, उत्थान, मुद्दे, चुनौतियाँ और संवैधानिक कानून।

महिलाओं का सशक्तिकरण

पूरे इतिहास में और विभिन्न देशों में, महिलाओं ने जीवन के विभिन्न चरणों में अपने संरक्षकों के हाथों पीड़ा

सहन की है। बचपन के दौरान, यह पिता, भाई, चाचा, पड़ोसियों और अन्य लोगों द्वारा हो सकता है। युवावस्था में, यह प्रेमी के कारण हो सकता है, जबकि विवाहित जीवन में, पति और विस्तृत परिवार अपराधी हो सकते हैं। बुढ़ापे में भी, बेटे और अन्य लोग महिलाओं की इस हानिकारक अधीनता में योगदान दे सकते हैं। निःस्संदेह, पुरुषों के कृत्यों ने युगों–युगों से महिलाओं के साथ ऐसा दमनकारी व्यवहार करके अथाह क्षति पहुंचाई है। इस प्रकार ''महिलाओं के अधिकारों का यह प्रश्न, विश्व प्रश्न था, और मानव जाति जितना ही पुराना था। सभी युगों में, स्त्री को पुरुष द्वारा हीन माना गया है, और उसने उन अधिकारों को छीन लिया है, जो ईश्वर ने उसे प्रत्येक मनुष्य के समान प्रदान किये थे। महिलाएं, जो आबादी का आधा हिस्सा हैं, की सार्थक भागीदारी के बिना राष्ट्र की प्रगति अधूरी और आंशिक होगी। लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी और सशक्तिकरण के माध्यम से ही भारत सच्चा और समावेशी विकास हासिल कर सकता है। सशक्तिकरण को 'एक परोपकारी लेकिन एकतरफा लेन–देन के रूप में वर्णित किया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को सक्षम महसूस करने और कार्यवाही करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी दूसरे की शक्ति को बढ़ाता है। इसकी सबसे सीधी परिभाषा में, सशक्तिकरण में एक अनुकूल वातावरण स्थापित करना शामिल है जहां महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास के संबंध में स्वायत्त रूप से विकल्प चुन सकती हैं और समाज के भीतर समान रूप से आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं इस हद तक समान व्यवहार किए जाने की आकांक्षा रखती हैं कि जब कोई महिला अपने पेशे के शिखर पर पहुंचे, तो यह एक सामान्य घटना होनी चाहिए, जिससे लिंग के आधार पर हल्के आश्चर्य से अधिक कुछ नहीं हो यह केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक संरचित मार्ग की स्थापना के माध्यम से ही साकार हो सकता है। "Empowerment of Rural Indian Women a Study of Uttarakhand" पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएँ जीवन के सभी पहलुओं में शोषित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, उनका तर्क है, महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि वे अपना जीवन जीने के लिए कितनी स्वतंत्र हैं और उपलब्ध संपत्तियों पर उनका नियंत्रण कितना है । संपादित पुस्तक में निबंध "Women Empowerment : Problems and Solutions" एम. लक्ष्मीपति राजू (2007) द्वारा महिला सशक्तीकरण पर विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ–साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की गई है। नीता तपन (1998) उन्होंने अपनी पुस्तक "Needs for Women Empowerment" में सरकार द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वयन के दौरान एनजीओ द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के बारे में बताया है। उन असंख्य तरीकों की जांच की जिनसे समाज में लैंगिक असमानता मौजूद है और महिलाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।

महिला सशक्तिकरण के आयाम

1. आर्थिक भागीदारी : यह श्रम शक्ति में मापने योग्य शर्तों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसमें न केवल आर्थिक गतिविधियों में लगी महिलाओं की कुल संख्या शामिल है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले।.

2. **Economic opportunity** : कार्यबल में केवल प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महिलाओं को एक सफल करियर बनाने या अपने पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देने के बीच एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है।

3. राजनीतिक सशक्तिकरण : यह औपचारिक और अनौपचारिक निर्णय लेने वाली संरचनाओं में महिलाओं की निष्पक्ष और न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित है, जिससे उन्हें अपने समुदायों को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने में अपनी बात रखने की अनुमति मिलती है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक और आवश्यक आवश्यकता शिक्षा है। महिलाओं के लिए साक्षरता का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव अगली पीढ़ी के बच्चों की तैयारी और कल्याण पर पड़ता है।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण : इसमें लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना, उनके शरीर पर स्वायत्तता, यौन और घरेलू हिंसा से सुरक्षा, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता, सार्वजनिक क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाना और महिलाओं को पुरुषों के अधीन वाले सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव शामिल है

6. स्वास्थ्य और कल्याण : यह पहलू महिलाओं की पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सेवाओं तक पहुंच के साथ–साथ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से संबंधित है। भारी कार्यभार, अपर्याप्त पोषण, कम उम्र में विवाह, अपर्याप्त पोषण और समग्र स्वास्थ्य में गिरावट के कारण मानसिक विकारों सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है।

7. कानूनी सशक्तिकरण : यह कानून बनाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है जो कानूनी अधिकारों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाता है। यह, बदले में, लोगों के लिए महिला अधिकार कानूनों के विस्तार की वकालत करने, उच्च स्तर से सुधार लाने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करने की क्षमता को व्यापक बनाता है।

8. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : Zimmerman द्वारा विकसित एक धारणा, जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण के बारे में है फिर भी सामाजिक संदर्भों, कार्रवाई और बातचीत के संबंध में दृढ़ता से है। बहुत सारा लेखन रैपपोर्ट्स के काम और परिभाषा पर भी आधारित है : सशक्तिकरण किसी के जीवन पर व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प, एक प्रक्रिया जिसमें लोग अपने मामलों पर महारत हासिल करते हैं, व्यक्तिगत नियंत्रण और प्रभाव की जुड़ाव, अक्सर संगठनों और स्कूलों जैसी मध्यस्थ संरचनाओं के माध्यम से सुझाव देते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययनों और शोध समीक्षाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, वर्तमान समय में, एक भारतीय महिला विभिन्न भूमिकाएँ निभा सकती है, जैसे पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, करोड़पति उद्यमी या अपनी पसंद का कोई अन्य हालाँकि, उनकी उपलब्धियों के बावजूद, देश के कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता और भेदभाव कायम है।

- Deepak
Department of commerce
Assistant Professor
Swami Shraddhanand College,
Uinversity of Delhi.
Mob.9210552698

References :

- Langley, E., & Fox, V. C. (1994). Women's rights in the United States : A documentary history (Eds). West Port, Connecticut : Winston Greenwood Press.
- Verba, S., & Nie, N.H. (1972). Participation in America: Political democracy and social equality. New York: Harper & Row, Publishers, Inc. Retrieved from http://www.empowermentillustrated.com/.
- Chattopadhyay, A. (2005). Women and entrepreneurship. Yojana, a Monthly Journal of Ministry of Information and Broadcasting, 5 (1), New Delhi.
- Aspy, C. B., & Sandhu, D. S. (1999). Empowering women for equity: A counseling approach. American Counseling Association, Alexandria, VA. 22304.

दलित विमर्श : सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का प्रश्न

– अर्चना द्विवेदी

गैर दलित लेखकों की दलित संबंधी रचनाओं को अक्सर 'सहानुभूति का साहित्य' की संज्ञा देकर दलित साहित्य की कोटि से खारिज कर दिया जाता है। दलित लेखक एवं समीक्षक 'स्वानुभूति' अथवा 'अनुभूति की प्रमाणिकता' पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि जो दलित अथवा उत्पीड़न के शिकार हैं उनके अनुभव ही प्रामाणिक माने जा सकते हैं।

वहाँ एक दूसरा समुदाय है जो यह मानता है कि केवल भुक्तभोगी ही अपनी पीड़ा का सच्चा बयान दे सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। गैर दलित रचनाकार भी इसी समाज में रहते और साँस लेते हैं। साहित्यकार एक संवेदनशील जीव है। वह सहज ही समाज में अपने इर्द–गिर्द हो रही गतिविधियों से प्रभावित हो जाता है। इसकी छाप उसकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। 'विधवा' शीर्षक कविता के माध्यम से निराला ने और स्त्री न होते हुए भी सूर ने कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्छल प्रेम की अभिव्यक्ति जिस रूप में की है वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है।

वस्तुतः साहित्यकार के लिए कोई भी विषय या क्षेत्र वर्जित नहीं है। डॉ. विश्वतनाथ त्रिपाठी साहित्य रचना के लिए जीवन बोध को प्रमुखता देते हुए कहते हैं : ''बोध भी हो तो जरूरी नहीं कि निजी अनुभव से बना हो। यह बोध या चेतना ज्यादा जरूरी चीज है। निराला ने 'विधवा' पर कविता लिखी। वे खुद तो विधवा नहीं थे। प्रेमचंद ने होरी जैसा किसान गढ़ा। यह सब बोध से पैदा हुआ।''[1]

साहित्य समाज सापेक्ष होता है समाज निरपेक्ष नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण के अभाव में दलित रचनाकार के रक्त धधका देने वाले दमन व यातना के अनुभव भी बड़े रचनात्मक अनुभव नहीं बन सकते। निजी अनुभव न होने के बावजूद सार्थक समाज के दृष्टिकोण के नाते प्रेमचंद ने 'सद्गति', 'ठाकुर का कुंआ', 'दूध का दाम', या 'गोदान' में, जगदीशचंद्र ने 'धरती धन न अपना' या 'नरक कुंड में बास' में जिस तरह के सार्थक और प्रभावशाली चित्र अंकित किये है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

संवेदना दर्द को महसूस करने का सामर्थ्य तो देती है, परंतु दर्द के निवारण की तमीज चेतना से ही मिलती है। यह चेतना किसी की बपौती नहीं है। वस्तुतः साहित्यकार 'परकाया प्रवेश' के सिद्धांत के तहत अनेक ऐसी स्थितियों का इतना सूक्ष्म वर्णन कर देता है कि ये सारी अनुभूतियाँ उसकी निजी प्रतीत होती हैं। यह दुर्लभ अभिव्यंजना शक्ति ही रचनाकार की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। 'गोदान' और 'मैला आंचल' कालजयी बन पाए हैं तो इसी कारण।

दलित साहित्य का भवन बाबा साहब अंबेडकर की ठोस विचारभूमि पर अवस्थित है। उनका मानना है कि साहित्य से समाज की केवल भौतिक प्रगति ही नहीं होनी चाहिए बल्कि नैतिकता का भी पोषण होना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार साहित्य भी सोद्देश्य होना चाहिए। वे कहते हैं––– ''अपनी साहित्य की रचनाओं में उदात्त जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को परिष्कृत कीजिए। अपना लक्ष्य सीमित मत रखिए। अपनी कलम की रोशनी को इस तरह से परिवर्तित कीजिए कि गाँव–देहातों का अंधेरा दूर हो। यह मत भूलिए कि अपने देश में दलितों और उपेक्षितों की दुनिया बहुत बड़ी है। उसकी पीड़ा और व्यथा को भली–भांति जान लीजिए और अपने द्वारा उनके जीवन को उन्नत करने का प्रयास कीजिए। इसमें सच्ची मानवता निहित है।''[2]

साहित्य के प्रति बाबा साहब की दृष्टि मानवतावादी है। इस आलोक में देखें तो हम पाएँगे कि प्रेमचंद, फणीश्वारनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, नागार्जुन जैसे अनेक गैर दलित लेखकों ने मानवतावादी दृष्टि से

समाज को देखा है, दलितों की पीड़ा को अनुभव किया है और उन्हें वाणी दी है। प्रेमचंद कहते है–– ''साहित्यकार मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बाँधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित हैं... चाहे वह व्यक्ति हो या वर्ग, उसकी हिमायत और ,वकालत करना उसका फर्ज होता है।''[3]

प्रेमचंद इसीलिए महान हैं कि उन्होंने समाज के दलितों–उपेक्षितों के अनुभवों को वाणी दी। उनकी देन पर टिप्पणी करते हुए कंवल भारती सरीखे दलित समीक्षक लिखते हैं –– ''हम अक्सर सहानुभूति और स्व–अनुभूति की बात करते हैं और बड़ी आसानी से दलितों के बारे में गैर दलित लेखकों के साहित्य को सहानुभूतिपरक कहकर खारिज कर देते हैं लेकिन प्रेमचंद को पढ़ते समय मैंने अनुभव किया कि यदि सहानुभूति न हो तो समस्या को समझना भी मुश्किल होता है। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में दलितों के प्रति सहानुभूति का स्तर सिर्फ दया–भाव पर आधारित नहीं है। दया भाव समस्या को नहीं उठाता, बल्कि उसे बनाए रखने का यत्न होता है। प्रेमचंद का दलित विमर्श इस यत्न से मुक्त है।''[4]

परन्तु वहीं दूसरी ओर कुछ दलित लेखक ऐसे भी हैं जो प्रेमचंद के कथन को वकील और मुवक्किल के परिस्थितिजन्य अंतर के आधार पर खारिज करते है और 'घायल की गति घायल जाने' के तर्ज पर उनका विरोध रते हैं।

शरण कुमार लिंबाले मराठी के चर्चित लेखक है। लिंबाले की आत्मकथा 'अक्करमाशी' का दलित साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अनुसार गैर दलित लेखक का दलित जीवन के प्रति अनुकंपा का भाव होता है। वे इस अनुकंपा के प्रसाद के आकांक्षी नहीं हैं। उनका स्पष्ट मत है कि दलितों को दया की भीख नहीं अपितु अपने अधिकार चाहिए। वे कहते हैं––'' आपत्ति होती है तो इसकी दो वजहें हैं। एक तो प्रगतिशील विचारधारा का लेखक उपदेशक की भूमिका में आ जाता है। दूसरा उनके लेखन में दयाभाव होता है, अनुकंपा होती है। हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं, हक और अधिकार चाहिए।... सवर्ण लेखक के लेखन में दलित चेतना नहीं मिलती। जो जन्म से दलित है, यदि उसके लेखन में भी दलित चेतना नहीं है, वह प्रेमकथाएँ लिख रहा है, जासूसी किस्म की चीजें लिख रहा है तो वह दलित लेखक नहीं है।''[5]

ऐसा नहीं है कि स्वानुभूति और सहानुभूति का तर्क दलित साहित्यकारों की नई प्रस्थापना थी। मुक्तिबोध ने इसे 'अनुभूति की प्रामाणिकता' कहा था। परन्तु दलित लेखकों ने इसे इस रूप में ग्रहण किया है कि ''हमारे अनुभव हमें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।''

दलित लेखकों की प्रायः यह शिकायत रही है कि गैर दलितों ने दलितों का जो चित्र अंकित किया वह उनके समान नहीं है। उसका स्वरूप घिनौना और विकृत है। उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तब इसी के साथ हमें यह मानना होगा कि दलित लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में वर्णित गैर दलित पात्रों का चित्रण भी कपोल कल्पना पर आधारित है। कारण कि यदि स्वानुभूति ही साहित्य में सब कुछ है तो दलितों को गैर दलित परिवेश तथा जीवन का अनुभव नहीं है अतः उसका चित्रण भी प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

गैर दलित साहित्यकारों के लेखन में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रायः हृदय परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया को अपनाया गया है जिसकी विश्वसनियता भी असंदिग्ध नहीं है। गांधी के विचारों से दलितों का बड़ा समुदाय इत्तफाक नहीं करता। दलित साहित्य सीधे सीधे दलित की व्यथा–कथा है।

धर्मवीर जैसे दलित लेखक कहते हैं कि– ''दलित साहित्य वह है जिसे दलित लेखक लिखता है।''[6]

जरूरी है कि इस तरह के कड़े रूख में लचीलापन लाया जाए। कहीं न कहीं यह भी स्वीकार करना होगा कि दलित साहित्य को शुरू से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर दलितों की सहायता मिलती रही है। 1914 ई. हीरा डोम की प्रसिद्ध कविता 'अछूत की शिकायत' को 'सरस्वती' पत्रिका में छापने वाले आचार्य महावीर प्रसाद

उपन्यास लिखकर नीग्रो जीवन की त्रासदी को सर्वप्रथम व्यक्त करने वाली श्रीमती स्टोन एक श्वेत महिला थीं ।

तात्पर्य यह है कि दलित साहित्य जिस महान लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है वहाँ योगदान चाहे दलित लेखक का हो अथवा गैर दलित लेखक का दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। दलित अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि दलित साहित्य अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दे और समाज के हर वर्ग की सहानुभूति अर्जित करे।

– डॉ. अर्चना द्विवेदी
असिस्टेंट प्रोफेसर
सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज,
कोलकाता–700084
मो. 9007807781

संदर्भ :

1. सिंह कुंवरपाल, सिंह नमिता, वर्तमान साहित्य, अप्रैल 2009, सिद्दीकी शकील, 'प्रतिरोध के नए क्षेत्र रू साहित्य, दलित और मुस्लिम दलित', प्रकाशक–रूचिका प्रिंटर्स, अलीगढ़, प्रकाशन वर्ष– 2009 (अप्रैल), पृ. 32
2. लिंबाले शरण कुमार, दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, अनुवादक–रमणिका गुप्ता, प्रकाशन–वाणी प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष–2000, संस्करण–द्वितीय (2005), पृ. 58–59
3. शीलबोधि, दलित साहित्य की वैचारिकी और डॉ. जयप्रकाश कर्दम, प्रकाशन–अकादमिक प्रतिभा, दिल्ली, प्रकाशन वर्ष–2007, संस्करण–प्रथम, पृ. 37
4. सिंह मुरली मनोहर प्रसाद, अवस्थी रेखा, प्रेमचंद विगत महत्ता और वर्तमान अर्थवत्ता, प्रकाशक–राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रकाशन वर्ष–2006, संस्करण–प्रथम, पृ. 498–499
5. लिंबाले शरण कुमार, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, अनुवादक–रमणिका गुप्ता, प्रकाशन–वाणी प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष–2000, संस्करण–द्वितीय (2005), पृ. 150–151
6. डॉ. धर्मवीर, दलित चिन्तन का विकास, प्रकाशक–वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष–2008, संस्करण–प्रथम, पृ. 21

समकालीन दलित राजनीति में पूना समझौता का प्रभाव

– प्रवीण चौधरी (शोधार्थी)

शोध संक्षेप

यह शोध पत्र पूना समझौता और उसकी पृष्टभूमि पर प्रकाश डालता है। पूना पैक्ट दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध गांधीजी द्वारा किए जा रहे अनशन का परिणाम था। इस शोध पत्र में समकालीन दलित राजनीति पर पूना समझौता के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान समय में भी दलितों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों की सद्भावना पर निर्भर रहता है, जो अक्सर वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय सांकेतिक प्रतिनिधित्व देता है।

बीज शब्द – पूना समझौता, दलित, राजनीतिक, निर्वाचन, प्रतिनिधित्व।

प्रस्तावना

भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में दलितों या अछूतों को सदियों से उत्पीड़न, उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के अधीन रहे हैं। अतीत में भारत में दलितों की स्थिति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है। डॉ. आंबेडकर द्वारा अछूत वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की मांग करना भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप 24 सितंबर, 1932 को भारत में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे बी. आर. आंबेडकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था । यह भारतीय इतिहास के राजनीतिक क्षेत्र में दलित वर्गों, जिन्हें अब अनुसूचित जातियों के रूप में जाना जाता है, उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना थी। पूना समझौते ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल

के मुद्दे को संबोधित किया, जिसे 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट में प्रदान किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट के तहत, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आवंटित किए गए थे। हालांकि, महात्मा गांधी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारतीय समाज को जाति के आधार पर विभाजित करेंगे, जो एक एकजुट भारत के उनके दृष्टिकोण के विपरीत था । पूना समझौता में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केन्द्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या मे 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

हालांकि, पंचाट द्वारा पेश किए गए सीटों की संख्या दोगुनी थी, परंतु पृथक निर्वाचन मण्डल को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण औजार के रूप में देखा गया था। इसलिए डॉ. आंबेडकर और उदासीन वर्ग के अन्य नेता पूना समझौता से नाखुश थे। इसके अलावा, जैसा कि डॉ. आंबेडकर खुद बताते हैं, कि पंचाट ने उदासीन वर्गों को दो वोट देने का अधिकार दिया था। वे पृथक निर्वाचक मण्डल के लिए एक वोट का उपयोग कर सकते थे और दूसरे वोट का उपयोग सामान्य मतदाता के लिए कर सकते थे। डॉ. आंबेडकर को लगा कि दूसरा वोट 'उदासीन वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए हिसाब से बाहुल्य व्यक्तिगत यन्त्र' था।

पूना पैक्ट का समकालीन दलित राजनीति पर प्रभाव

पूना समझौता ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन इसने अलग निर्वाचन क्षेत्रों को सुनिश्चित नहीं किया जैसा कि डॉ. आंबेडकर ने मूल रूप से मांग की थी। इसका अर्थ था, कि दलितों को अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनने की स्वायत्तता के बजाय आरक्षित सीटों के लिए उन्हें नामित करने के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर रहना पड़ता था। वर्तमान समय में भी अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने की स्वायत्तता नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों की सद्भावना पर निर्भर रहता है, जिसके कारण अक्सर सार्थक सशक्तिकरण के बजाय सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही होता है। पूना समझौता ने प्रमुख जातियों के नेताओं के लिए दलित प्रतिनिधियों को नामित करके दलित राजनीति को प्रभावित करना संभव बना दिया। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कुछ दलित प्रतिनिधि अपने समुदाय के बजाय अपने गैर–दलित लाभार्थियों के प्रति अधिक जवाबदेह है, जो संभावित रूप से दलित आबादी के हितों से समझौता कर रहे है। कांशीराम अपनी पुस्तक 'चमचा युग' में इस बात का एक बेदाग वर्णन करते हैं कि कैसे पूना समझौता निर्वाचित दलित प्रतिनिधियों को कांग्रेस और उच्च जाति के राजनेताओं के प्रभुत्व वाले अन्य राजनीतिक दलों के उपकरणों में बदलने के लिए जाति हिंदू नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख हथियार रहा है और उनके हितों को उनकी जाति पहचान से प्रभावित और आकार दिया जाता रहा है। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें 'चमचा' कहा और पूना समझौते के उस युग को 'पिट्ठों का युग' या 'चमचा युग' माना।

विधायिका में एससी/एसटी आरक्षित सीटों की स्थापना के परिणामस्वरूप चमचा राजनेताओं के उल्कापिंड का उदय हुआ। एस. सी./एस. टी. आरक्षित सीट पर चुनाव जीतने के लिए एस. सी./एस. टी. उम्मीदवार को एक प्रमुख राजनीतिक दल के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस समर्थन के बदले में, जीतने वाला उम्मीदवार पार्टी के लिए चम्चा या स्टूज के रूप में कार्य करने से अधिक खुश रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उन उत्पीड़ित समुदायों की जरूरतों के लिए लड़ने के बजाय, चमचा खुशी–खुशी 'हाँ पुरुष' बन जाते हैं, जो उनके राजनीतिक आका उन्हें करने का आदेश देते हैं। यह इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था पूना समझौता के बाद अस्तित्व में

आकांक्षाओं को छिपाने के लिए जिम्मेदार बन गई। पूना समझौता मुख्य रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षित सीटों पर केंद्रित था, लेकिन इसने भूमि सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और दलितों के लिए शैक्षिक अवसरों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक थे। समझौते में कुछ अस्पष्टताएँ भी थीं जिससे इसके कार्यान्वयन पर विवाद पैदा हो सकते थे। पूना समझौता की शर्तों और प्रावधानों के तहत दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन के तहत आरक्षित सीटें चालू रहीं। उच्च जाति के हिंदू जब वास्तविक शक्तिशाली और वास्तविक दलित नेतृत्व की उपस्थिति से अपनी स्थिति को खतरे में डालते हैं या खतरे में पाते हैं, तो चमचों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है तो चमचों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष : हमारे देश में वास्तविक और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है और सदियों पुरानी गरीबी और पिछड़ेपन पर काबू पाने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षित करने और रोजगार देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चम्चा युग की चुनौती का सामना करने के लिए, कांशीराम ने शिक्षित करें, आंदोलन करें, संगठित करें का नारा दिया है। समस्याओं के अल्पकालिक समाधान को ध्यान में रखते हुए, कांशीराम का मानना था कि चमचा युग का अंत महत्वपूर्ण है, जिसे जनता के बीच जागरूकता पैदा करके शुरू किया जा सकता है। दीर्घकालिक प्रयासों के लिए दलितों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों की अलग और स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी विकसित करने जैसे केंद्रित राजनीतिक कार्य देश में उचित हिस्सा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो सकते हैं।

– प्रवीण चौधरी
शोध छात्र (नेट), राजनीति विज्ञान विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर
विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश)
मोबा. 8800921076

संदर्भ :

1. बी. आर. सांपला .2018. "पूना पैक्ट". सम्यक प्रकाशन ।
2. मा. कांशीराम. 2022. "चमचा युग". सम्यक प्रकाशन।
3. आंबेडकर. 1945. " कम्यूनल डेड्लाक एण्ड अ वे तो सॉल्व इट". जालंधर।
4. आंबेडकर.1945. "व्हाट कॉंग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू द अंटचेबल". बॉम्बे।
5. रविंदर कुमार. 1985. " गांधी, आंबेडकर एण्ड पूना पैक्ट ". नेहरू मेमोरियल एण्ड म्यूजीअम। पब्लिकेशन्स।
6. जगदीश चंद्र मण्डल । 1999. "पूना पैक्ट एण्ड डीपरेस्ड". सुजान पब्लिकेशन्स।

Changes of Scheduled Castes Population Literacy Rate in Himachal Pradesh 2001-2011

- Gurmel Singh[1]*
- Dr. MohanLal[2]

Abstract

In the pursuit of natural demographic progress, global peace, and friendly international relations, addressing poverty and mental isolation is crucial, with literacy being a linchpin. This study examines the literacy rate shifts among Scheduled Castes in Himachal Pradesh from 2001 to 2011, utilizing the compound annual growth rate. Over the decade, the overall literacy rate rose by 8.6%, reaching 78.9%. Male literacy increased by 6.2%, reaching 86.2%, and female literacy surged by 11.1%, reaching 71.50%. Derived from reliable

Pradesh, this research sheds light on the dynamic changes in literacy rates, underscoring the importance of educational advancements for social upliftment and holistic development within Scheduled Castes.

Keywords : literacy rate, male literacy, female literacy, Scheduled Castes.

1. Introduction

Education, essential for personal development, serves as a catalyst for societal transformation. In today's context, literacy and educational achievements are vital for a progressive society (Kar and Sharma, 1994). For the economically and socially disadvantaged, education acts as a powerful tool for empowerment and community engagement, offering a pathway out of poverty (Das and Halder, 2018) (Babu and Chandrasekarayy, 2015). Lack of basic education hampers underprivileged segments from exercising their constitutional rights (Chandidas, 1969). Post-independence, Scheduled Castes gained reservation status, emphasizing development and representation across spheres (Chatterjee, 1996). State-prioritized education for marginalized groups is crucial for economic growth and policy formulation (Ahluwalia, 2007). Despite driving societal progress, disparities persist, influenced by socio-cultural and economic differences among religious communities (Hussain and Siddiqui, 2010). This study addresses a crucial gap by examining literacy rate changes among Scheduled Castes in Himachal Pradesh from 2001 to 2011, offering insights into their educational progress in an underexplored region.

2. Objective of the Study

1. To Study the percentage of Scheduled Castes population in Himachal Pradesh.

2. To find out the Scheduled Castes literacy rate as a percentage of sex wise population and its changes and its growth in Himachal Pradesh.

3. Suggestion for the upliftment of Scheduled Castes in Himachal Pradesh

3. Methodology of the Study

This study relies on secondary data from trusted sources, including the Statistical Abstract of Himachal Pradesh, Census of India 2001 and 2011, and data from the Himachal Pradesh Scheduled Castes & Scheduled Tribes Directorate of Census Operations. To assess changes, percentages were calculated. Compound annual growth rates were determined to analyze the change in literacy rates

Himachal Pradesh using a specific formula.

Compound annual growth rate =

$$\left(\frac{\text{current value}}{\text{previous value}} - 1\right) \times 100$$

5. Scheduled Castes Literacy rate as a percentage of sex wise population 2001-2011

Literacy rates for Scheduled Castes in Himachal Pradesh from 2001 to 2011. The overall literacy rate increased by 8.6%, from 70.30% in 2001 to 78.9% in 2011. Male literacy rose by 6.2%, from 80% to 86.2%, and female literacy saw a substantial 25.8% increase, from 60.4% to 86.2% over the same period. Chamba district had the lowest literacy rates, with an 11.1% increase in overall literacy (58.50% to 69.6%). Hamirpur district had the highest literacy rates, growing by 6.8% from 79.10% to 85.9%. Among males, Hamirpur's literacy rate increased by 5.5%, and female literacy improved by 8.1%. Other districts in Himachal Pradesh exhibited medium literacy rates for Scheduled Castes from 2001 to 2011.

6. Compound Annual growth rate of Literate population of Scheduled castes in Himachal Pradesh 2001-2011

Literacy rates among Scheduled Castes in Himachal Pradesh. Over the years, the overall literacy rate, male literacy rate, and female literacy rate have seen impressive compound annual growth rates of 31.92%, 26.29%, and 39.59%, respectively. These gains weren't uniform across districts. In Chamba, both male and female literacy rates surged by 45.62%, 35.01%, and 63.04% in the past decade. Kangra experienced a 27.33% increase in overall Scheduled Caste literacy, with male literacy rising by 23.77% and female literacy by 31.74%. However, Lahul & Spiti district had a negative growth rate in total literacy (-8.86%), male literacy (-13.14%), and female literacy, which was below the state's growth rate (-2.07%). Some districts achieved growth rates above the state average, including Kinnaur (111.98%), Sirmour (41.78%), Solan (34.39%), and Chamba (45.62%). On the other hand, districts like Shimla, Bilaspur, Mandi, Lahul & Spiti, and Kangra had male literacy rates below the state average. Female literacy rates soared higher in Kinnaur (130.63%), Shimla (40.03%), Sirmour (88.98%), and Chamba (63.04%), while Una, Bilaspur, Hamirpur, Lahul & Spiti, and Kangra had female literacy rates below the state average. These variations highlight the diverse progress across Himachal

Suggestion and Conclusion :

The Scheduled Caste population in Himachal Pradesh increased by 0.49%, with a growth rate of 15.12% between 2001 (24.7%) and 2011 (25.19%). Men's literacy rates among Scheduled Castes rose by 6.2% from 2001 (80%) to 2011 (86.2%), with an annual compound growth rate of 26.29%. Women's literacy rates increased by 11.1%, from 60.4% in 2001 to 71.50% in 2011, with a growth rate of 39.59%. The overall literacy rate for Scheduled Castes in Himachal Pradesh improved by 8.6%, from 70.30% to 78.9%, with a growth rate of 31.92%.Himachal Pradesh's diverse geography calls for the development of self-reliance and self- respect within the society that prioritizes their sustainable development. The government should focus on funding education for Scheduled Castes, particularly those in unorganized sectors like brick making, construction, and agriculture. Additional funding should be allocated for educational institutions in tribal regions to ensure equal access to education.

- Gurmel Singh[1]*
Research Scholar
Department of Economics.
Sant Baba Singh University, Jalandhar (Pb)
H. No. MIG-304, Housing Board Colony
Near Mount Carmel School Rakkar Colony
Tehsil & Distt. Una Himachal Pradesh Pin 174303
W. No. 9882063493 Call 8627877073

- Dr. MohanLal[2]
Assistant Professor
Department of Economics,
Sant Baba Bhag Singh University, Jalandhar (Pb) *

References :

1. Babu ,M.R. and Chandrasekarayy, T. (2015). Education status and its impact on development of scheduled castes: an overview. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(1): 356-360.
2. Census of India (2001), Primary census abstract data for scheduled castes, Himachal Pradesh, accessed on 28/09/2023, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/41349
3. Census of India (2011), Government of India, Available at- https://data.gov.in/catalog/state-and-district-wise-scheduled-caste-and-schedule- tribe-population-each-caste -and-tribe, accessed on 4/02/2023
4. Census of India (2011), Government of India. Available at- http://censusindia. gov.in/Tables_Published/A-Series/A-Series_links/ t_00_005.aspx, accessed on 4/04/2023.
5. Chatterjee, S. K. (1996). The Scheduled Caste in India. Vol. IV. New Delhi: Gyan Publishing House.

6. Chanddas, R., (1969). How Close to Equality Are Scheduled Castes? Economic and Political Weekly, 4(24): 975-979.

7. Das T. and Halder, T. (2018). Causes of EducationalBackwardness of Scheduled Caste Women Students at Higher Education Level in West Bengal. International Journal of Creative Research Thoughts, 6(1):1523-1530.

8. Kar, B.K. and Sharma, H. N. (1994): WomenLiteracy in Assam, North Eastern Geographer, Vol. 25, No. 1 and 2, pp. 18-39

9. Hussain, N. and Siddiqui, F. A. (2010) : "Literacy and Backwardness of Muslims in Malda istrict: Planning Approach for Human Development", Paper Presented at 4th International Congress of the Islamic World Geographers, 14-16 April, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran, pp. 133.

10. Kaur, G. and Kaur, D. (2012): Literacy Of Major Religious Groups In India: A Geographical Perspective in Abstracts Of Sikh Studies:, published by Institute of Sikh Studies, Chandigarh, Oct-Dec/544NS (Vol XIV, Issue 4), pp 40-58

11. Kingdon, G. G. (2007). The progress of School Education in India. Oxford Review of Economic Policy, 23(2): 168-195. Mahat, H., Yazid Saleh, Mohmadisa Hashim and Nasir Nayan (2016). Model Development on Awareness of Education for Sustainable Schools Development in Malaysia, Indonesian Journal of Geography, 48(1), 37-46

''फ़िराक गोरखपुरी ज़ात और सिकात''

– डॉ. मोहम्मद अज़हर ढेरीवाला

रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर के रहने वाले थे। वहीं सन 1896 ई में उनकी पैदाइश हुई। आपके पिता मुंशी गोरखपुर प्रसाद इबरत मशहूर वकील और अच्छे शायर थे।

फिराक की तालीम घर पर उर्दू से शुरू हुई। उनकी उम्र सात साल की थी उस वक्त अंग्रेजी तालीम के लिए स्कूल में दाखिल कर दिए गए। उनका दिमाग भी काफी तेज था। इसलिए वे हर दर्जे में अव्वल रहे। बी. ए. म्योर कॉलेज इलाहाबाद से खास कामयाबी के साथ पास किया। गवर्नमेंट ने फौरन डिप्टी कलेक्टरी के चुनाव में उन्हें ले लिया, मगर डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले आप कांग्रेस में शरीक हो गए और बजाय दूसरों को जेलखाने भेजने, खुद जेल चले गए।

फिराक का शायरी का शौक उस वक्त ज्यादा बढ़ा जब वह इलाहाबाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए। यहां की फिजा में शायरी का साज छिड़ा देखा तो खुद शेर कहने की उमंग दिल में पैदा हुई । साहित्य के चर्चे और प्रोफेसर नासिरी की दिलकश मोहब्बतों ने फिराक के दिल की दबी हुई आवाज को रोशन कर दिया। जब बी.ए. क्लास में आए तो पहली बार आपने ग़ज़ल लिखकर नासिरी की खिदमत में इस्लाह के लिए पेश की नासिरी ने न सिर्फ गजल पर इस्लाह की बल्कि

दिए, जिसने फिराक की शायरी की राह में शमा का काम किया। चंद दिनों के बाद नासिरी साहब की सोहबत ना रही, और आपने वसीम खैराबादी से इस्लाह लेना शुरू की।

शेरो–शायरी का चस्का अब गोया फिराक के दम के साथ था। जेल खाने गए तो वहां भी यह सिलसिला जारी रहा। बल्कि यों कहना चाहिए की कैदखाना शेरो–शायरी का मदरसा हो गया। यहां न सिर्फ शायरों से मुलाकात हुई बल्कि विद्वान दोस्तों से बराबर सोहबतें रही। मद्दाह, आरिफ हंसवी, हकीम, आशुक्ता, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह की आये– दिन की मोहब्बतों ने नज्में – सखुन की गर्म बाजारी में और ज्यादा मदद की। एक गजल में वे कहते हैं––

अहले–जिंदा की ये मजलिस है सबूत इसका फिराक
कि बिखर कर भी ये शीराजा परीशा न हुआ।

सन1927 ई. में जब फिराक कैद से छूटकर आये तो क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में नौकरी कर ली। फिर इसके बाद सनातन धर्म कॉलेज कानपुर ने उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दरमियान में आपने एम. ए. पास कर लिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर मुकर्रर हो गये। तब से आप बराबर इलाहाबाद ही में रहे।

फिराक की शुरू की गजलों में अमीर मीनाई का रंग झलकता है। लेकिन इसके जरा बाद में अजीज और सफी का रंग नजर आता है। इसके बाद मीर के कलाम का भी फिराक पर असर पड़ा, और वह उन्हीं के दिखाये रास्ते पर चलने लगे। मगर मौजूदा हालात में उनका खुद एक रंग हो गया था।

यानी असर लिए हुए एकदम सीधी स्वाभाविकता और मजमून और बयान शैली का एक दूसरे में समाया हुआ होना खास तौर से देखने के काबिल है। उनकी गजलों में अक्सर भावनाओं की करवटें, जिंदगी के मजबूर हालात पर अफसोस दुख और दर्द के पहलू की तस्वीरें देखने के काबिल है। भावनाओं की धड़कन में गहरे विचारों को समोकर फिराक न सिर्फ कलाम में असर को बढ़ा देते हैं बल्कि अर्थ और ऊंचा उठ जाता है। उनकी नजर भाव–चित्रण से आगे बढ़कर कभी–कभी भावों के मनोविज्ञान और बुनियादी हकीकतों पर भी पड़ती है, जो उर्दू साहित्य के लिए एक खास चीज हो जाती है। और यह उन्होंने पश्चिमी साहित्य खासकर ड्रामा और उपन्यास वगैरह में डूब कर हासिल किया।

गजलों के अलावा फिराक ने नज्में भी कही है कई संग्रह छाप चुके हैं लेकिन उनको मशहूर किया है तो उनकी गजलों ने जो अपने अर्थ की खूबियां कल्पना के रंग, तर्ज और ख्यालों के अछूतेपन की वजह से उर्दू साहित्य की एक खास पूंजी हो गई है फिराक ने अपनी प्रतिभा का जोर रुबाइयों पर लगाया था और शायरी की इस किस्म में भी उन्होंने गुल बूटे खिलाए हैं। जुरअत की गजलों की झलक उनकी रुबाइयों में लतीफ अंदाज से नजर आती हैं। जहाँ कहीं वह शान और अनुभूतियों की गहरी चीजें लाते हैं वहाँ पढ़ने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन बावजूद इसके उनकी खास शोहरत का कारण उनकी गजलें हैं, जो उनकी उर्दू शायरी की अगली पाँत में जगह दिलाती है।

– डॉ. मोहम्मद अजहर ढेरीवाला
बी/2, विक्रमबाग कॉलोनी, प्रतापगंज,
वड़ोदरा 390002 मो. 7096055731

बुद्ध की प्रथम और अंतिम वाणी : वैश्विक समुदाय के लिए विरासत

– प्रीति गहलोत (शोधार्थी)

आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना घटी। इस अवधि में मानव जाति के इतिहास में, सम्पूर्ण लोक के कल्याण करने के लिए एक महान परोपकारी महापुरुष पैदा हुआ था जिसका नाम 'सिद्धार्थ गौतम' था उसने अपने अथक प्रयास से 'सम्यक सम्बोधि' को प्राप्त कर 'सम्यक सम्बुद्ध' के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रकृति में विलुप्त प्रज्ञाजनित विपश्यना ध्यान विधि का पुनः अनुसन्धान कर सार्वभौमिक दुख का उन्मूलन करने के लिए 'धम्म के मार्ग' का फिर से अन्वेषण किया। तब उसके बाद बुद्ध ने अपने महान कारुणिक भाव से ''चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकनुकम्पाय" अर्थात् ''बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए" लगातार पैंतालीस वर्षो तक लाखों लोगों के दुख, मुक्ति के लिए धम्मोपदेश किया। आज भी धम्म का यह मार्ग सम्पूर्ण मानवता के लिए सुख–शांति प्रदान कर रहा है। बुद्ध की यह शिक्षा तभी प्रासंगिक तथा समीचीन होगी जब तक इसे व्यावहारिक रूप में अभ्यास न किया जाये। इस तरह बुद्ध के धम्म को धारण करके साधक भविष्य में भी अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है।

जब सिद्धार्थ गौतम को 35 वर्ष की अवस्था में "बुद्धत्व'' की प्राप्त हुई तब धरती धन्य हुई, पावन हुई। समस्त पृथ्वी हर्ष विभोर होकर प्रकम्पित हो उठी और सारा चक्रवाल (ब्रह्माण्ड) पुलक रोमांच से प्रकम्पित हो उठा तथा इस चक्रवाल के समीपवर्ती दससहस्त्र चक्रवाल प्रसन्नता की तरंगों से तरंगित हो गए। निरभ्र आकाश में गड़गड़ाहट हुई मानो देव दुंदुभी बजी। प्रमुदित पेड़ों के प्रफुल्लित सुमन बोधिसत्व के सम्मान सत्कार के लिए बिखर–बिखर कर धरती को आल्हादित करने लगे। सारी प्रकृति देवपुष्पों की दिव्य पराग सुरभि से गमक उठी। स्मृति सम्प्रज्ञान के साथ माता महामाया के गर्भ में प्रवेश करने के समय से, दस महीनों तक स्मृति सम्प्रज्ञान में ही रहता हुआ, अब स्मृति सम्प्रज्ञान के साथ ही धरती पर पाँव रखता है तो अपने संगृहीत अपरिमित धर्म बल से इन दस सहस्त्र चक्रवालों को देखता हुआ यह उद्घोषणा करता है :–

1. अग्गोहमस्मी लोकस्स अर्थात मैं लोक में अग्र हूँ।
2. जेट्ठोहमस्मी लोकस्स अर्थात मैं लोक में ज्येष्ठ हूँ।
3. सेट्ठोहमस्मी लोकस्स अर्थात मैं लोक में श्रेष्ठ हूँ।

यह सत्य वचन था क्योंकि उस समय दसों पारमिताओं भव संसार पार करने के लिए परम योग्यताएँ को इतनी मात्र में पूरा किया हुआ अन्य कोई व्यक्ति किसी भी लोक में नहीं था। अतः वह सभी प्राणियों में अग्र था, ज्येष्ठ था, श्रेष्ठ था। उसने फिर यह भी घोषणा की कि –

4. अयमन्तिमा जाति : यह मेरा अंतिम जन्म हैं।
5. नत्थिदानि पुनब्भवोति : अब पुनर्जन्म नहीं होगा।

इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम तृष्णा रूपी अंधकार के सारे बंधन को तोड़कर सर्वोच्च निर्वाणिक पद, शांति को प्राप्त करते है और कहते है कि यह मेरा अंतिम जन्म है अब फिर से मेरा जन्म नही होगा क्योंकि सांसारिक भाग–दौड़ रूपी विकारों से मुक्त हो चुके है। इस तरह अपने अथक प्रयासों द्वारा वे 'सम्यकसंबुद्ध' को प्राप्त हुए तथा प्रथम वाणी के रूप में हर्षोल्लाष के साथ यह उदान कहते है (पठमा वाचा) :–

अनेकजातिसंसारं, सन्धाविस्सं अनिब्बिसं।
गहकारं गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनपुनं।।

सब्बा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसङ्खतं।

विसङ्खारगतं चित्तं, तण्हानं खयमज्झगा।।

अर्थात् बिना रूके अनेक जन्मों तक इस संसार में दौड़ता रहा। (इस काया रूपी) गृह को बनाने वाले को खोजते पुनः पुनः दुःख जन्म में पडता रहा । हे गृहकारक! (घर बनाने वाले), मैंने तुझे देख लिया, (अब) फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कडियां भग्न हो गयीं, गृह का शिखर गिर गया। चित्त संस्कार रहित हो गया। तृष्णाओं का क्षय हो गया हैं।

भगवान ने आगे ये शब्द कहें–**"खीनं पुराणं नव नत्थि सम्भवं।"**

अर्थात् सभी प्रकार के पुराने संस्कारों का क्षय हो गया और नए संस्कारों का इस लोक में जन्म होना बंद हो गया।

इस तरह भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में शील, समाधि और प्रज्ञा आधारभूत रूप से प्रमुख हैं। शील के पालन से समाधि भावित होती हैं, समाधि के भावित करने पर प्रज्ञा का विकास होता हैं। और प्रज्ञा यानि विपश्यना अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान भावित करने पर जन्म–जन्मांतरों के दुखों का समूल नाश हो जाता हैं। जिससे निर्वाण और अरिहंत पद की प्राप्ति होती हैं। जिससे परम शांति, परम सुख को प्राप्त होता हैं। भगवान बुद्ध ने कहा–

आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुट्ठिपरमं धनं ।

विस्सासपरमा ञाति, निब्बानं परमं सुखं ।।

अर्थात् आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास परम बंधु है, निर्वाण ही परम सुख हैं।

इस तरह भगवान बुद्ध ने लगातार 45 वर्षों तक धम्म उपदेश किया और 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। शरीर छोड़ने के पहले लिये एक विरासत हैं। महा कारुणिक भगवान बुद्ध के अंतिम वचन (पश्चिम वाचा)–

"हंद दानी भिक्खवे, आमन्तयामी वो।

वय धम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ।।"

अर्थात् हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। सभी प्रकार के संस्कार व्यय धर्म है। अर्थात्

जो चीजे, वस्तुएँ, घटनाएँ, परिस्थितियां उत्पन्न होती है, वह उसी क्षण नष्ट भी हो जाती है। अतः अप्रमाद (अथक परिश्रम) होकर अपने लक्ष्य का संपादन कर लो ।

इस तरह भगवान बुद्ध की शिक्षा में प्रथम और अंतिम वाणी सम्पूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए विरासत हैं। उनका धम्म उपदेश सम्पूर्ण इहलोकीय भौतिक जीवन से लेकर पारलोकीय जीवन में दुखों से मुक्ति का मार्ग था, जिसे हम अनुकरण कर अपने जीवन को सुख–शांति से समृद्ध कर सकते हैं।

शोधार्थी– प्रीति गहलोत

विभाग– बौद्ध अध्ययन

(दिल्ली विश्वविद्यालय) मोबा. 9210377277

संदर्भ :

1. विनयपिटक, महावग्ग, 32, मारकथा
2. दीघनिकाय 2.1.31
3. धम्मपद –153,154
4. सुत्तनिपात, रतनसुत्त, 238
5. धममपद, सुखवग्गो, 204
6. विपश्यना पत्रिका संग्रह, विपश्यना, विशोधन विन्यास, ईगतपुरी,
7. बुद्ध जीवन परिचय, विपश्यना, विशोधन विन्यास, ईगतपुरी
8. अंगुत्तर निकाय 1.134
9. दीघनिकाय (2.3.241–272), महापरिनिब्बानसुत्त

अम्बेडकर महान

– दयानंद बटोही

प्रज्ञ की प्रज्ञाचक्षु से प्रणीत हमारा संविधान
हे! भारत की भावी जनता गाओ बाबा की जयगान,
प्रणाशी भेदभाव के, चिन्तित उनके घाव के
सभी हो जाय एक समान,
सभी को है स्वतंत्रता
सभी का है हक्क समान
हे! अम्बेडकर महान।

दलित, शोषित का तुमने किया मान
बिना वस्त्र, भोजन जन की ओर दिया ध्यान
उन्हीं में बसता था आपका प्राण
आपने सदा ध्यान रखा
सभी में हो स्वाभिमान
हे! अम्बेडकर महान।

कुचले, दबे, गिरे को आपने अपनाया
सोयी जनता को अधिकार का संदेश सुनाया
लड़खड़ाते पैरों को आपने दौड़ उठाया,
समता, बंधुता, स्वतंत्रता को अपनाया
सोयी भावी जनता को दिया ज्ञान
सभी को संदेश सुनाया सब का रक्त एक समान
अब इसमें न कोई होगा नीच महान।
दीन दुखी का किया मान
हे! अम्बेडकर महान
हे! गरीबों के उद्धारक
हे! गरीबों के तारक
आओ फिर एक बार
पुण्य दिवस पर करुं गुणगान
हे! अम्बेडकर महान।

छूत अछूत का भेद आपने मिटाया
मानव से मानव प्रेम का गीत गाया
धनी, गरीब, शोषक, शोषित को जताया
राष्ट्र में हो एकता का मन्त्र फैलाया
हम सब किये है, करते है,
करेगी भावी जनता (मानव)
तुम्हारा ही गुणगान
हे! अम्बेडकर महान।

हे! बाबा अम्बेडकर
तुम्हारा ही था सपना
सभी हो एक समान
कोई न कहे धन अपना
तुमने सोचा समझा और देखा
गरीबों को तभी अपनाया
दलित, दीन, दुखी
धनी, रंक, सुखी
सभी हो जाय एक समान
यह सपना रहा अधूरा
आओ फिर एक बार
फिर से कर दो उसको पूरा
आपका यही था सपना
हम घर घर दीप जलायेंगे
हम छूत अछूत दलित जन को
एक साथ बैठायेंगे
धनद कम तुम्हें नहीं था स्वाभिमान
अंकिचन तेरी है संतान
द्रष्टव्य तेरे हैं सभी काम
ताडित को तुमने दिया ज्ञान
सर्वहारा तेरी है संतान
मानव एक हैं एक समान
हे! अम्बेडकर महान।

– डॉ. दयानंद बटोही
इ.जी.–8, चंद्रपुरा बोकारो
(झारखण्ड)
मोबा. 9955437549

डॉ. अम्बेड़कर जन्म जयंति 2024 की चित्रमय झलकियाँ

जय भीम

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमीजी के 80 वें जन्म दिवस (30.04.1944) पर
आश्वस्त परिवार का भावभीना स्मरण....

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

_____

_____

_____

_____

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक **पिंकी सत्यप्रेमी** ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स , 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार